संख्या-400/2026/1924/22-2-2025-17(416)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरफान पुत्र श्री फिरासत, निवासी जनपद-बदायूँ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-35274/प्रो0-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025), दिनांक 08.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरफान पुत्र श्री फिरासत (दिनांक 16.08.2025 तक बंदी की आयु 43 वर्ष 03 माह), चन्दन नगर खरैर, थाना-बिनावर, जनपद-बदायूँ का निवासी है। दिनांक 28.04.2004 को बन्दी ने कु० मौसमी उम्र 11 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 37/2005, धारा-376, 302 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कोर्ट सं0-01, बदायूँ के आदेश दिनांक 02.06.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.06.2006 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 16.08.2025 तक अपरिहार 21 वर्ष 03 माह 18 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष 10 माह 25 दिन की मात्र सजा भोगी गयी सजा। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा बंदी का अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 28.04.2004 को बन्दी ने कु0 मौसमी उम्र 11 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी इरफान पुत्र श्री फिरासत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरफान (बंदी संख्या-40504) पुत्र श्री फिरासत, निवासी जनपद-बदायूँ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-400/2026/1924(1)/22-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- पुलिस अधीक्षक, बदायूँ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-400/2026/1924/22-2-2025-17(416)/2023

दिनांक 16 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरफान पुत्र श्री फिरासत (दिनांक 16.08.2025 तक बंदी की आयु 43 वर्ष 03 माह), चन्दन नगर खरैर, थाना-बिनावर, जनपद-बदायूँ का निवासी है। दिनांक 28.04.2004 को बन्दी ने कु० मौसमी उम्र 11 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 37/2005, धारा-376, 302 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कोर्ट सं0-01, बदायूँ के आदेश दिनांक 02.06.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.06.2006 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 16.08.2025 तक अपरिहार 21 वर्ष 03 माह 18 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष 10 माह 25 दिन की मात्र सजा भोगी गयी सजा। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा बंदी का अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 28.04.2004 को बन्दी ने कु0 मौसमी उम्र 11 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी इरफान पुत्र श्री फिरासत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।